

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

श्रीकृष्ण बगम दुगा १

५२/१३

विशेष दि

संख्या :

दिनांक आशा या कार्यवाही

आशा विस्तृत रूप से

दिनांक दिवस

१०/२५

पंजाबली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित।  
३० दिन से अधिक समय होने के कारण  
फर्द बहाल हुनी गई। वस्तु को जमा किया  
१८/२५ को पेश हो

सहायक कलक्टर  
आमेर मु. जयपुर

१८/२५

पंजाबली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। वस्तु को जमा  
किया २८/२/२५ को पेश हो

सहायक कलक्टर  
आमेर मु. जयपुर

२४/२५

पंजाबली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। सिक्का के  
कारण को जमा किया गया। वस्तु को जमा  
किया ५/४/२५ को पेश हो

सहायक कलक्टर  
आमेर मु. जयपुर

५/२५

पंजाबली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। वस्तु को जमा  
किया ४/२/२५ को पेश हो

सहायक कलक्टर  
आमेर मु. जयपुर

४/२५

पंजाबली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। उनकी  
संख्या १ व २ वादी के विरुद्ध निर्णय हो चुका है  
उनकी संख्या ५ प्रतिवादी १ के पक्ष में साबित  
हो चुका तथा उनकी संख्या ३, ५, ६ एवं ७ प्रतिवादी  
के विरुद्ध साबित होने से वादी का वाद एवं  
प्रतिवादी का काउंटर क्लेम खारिज किया जाता  
है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्ली ह्वरक से लिखा  
गया। (पंजाबली प्रस्तुत शुभान होना पारिवारिक  
दस्तावेज है)

सहायक कलक्टर  
आमेर मु. जयपुर

न्यायालय :- सहायक कलक्टर आमेर,  
मुख्यालय जयपुर (राज.)  
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी  
आर.ए.एस.



नियमित वाद संख्या -42/2013

वाद प्रस्तुति दिनांक -26.02.2013

श्रवण लाल पुत्र राम लाल बलाई जाति मेघवंशी, निवासी नांगल लाडी तहसील आमेर जिला जयपुर।

.....वादी.

बनाम

1. हनुमान सहाय दत्तक नारायण निवासी नांगल लांडी तह. आमेर जिला जयपुर।
2. उप पंजीयक आमेर जिला जयपुर।
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
4. रामस्वरूप पुत्र मालीराम जाति बुनकर निवासी चिमनपुरा तहसील आमेर जयपुर

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा- 88, 89, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

- (1) श्री बंशीधर जाट - अधिवक्ता वादी की ओर से
- (2) श्री महेश चन्द शर्मा - अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।

दिनांक 08.08.2025

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वाके ग्राम नांगल लांडी पटवार हलका राधाकिशनपुरा भू अभिलेख हलका जाहोता, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नंबर-168 रकबा 1.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 169 रकबा 0.31 है. कुल कीता 02 कुल रकबा 1.38 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण सं.। का नाम दर्ज है। वाद पत्र में विवादग्रस्त भूमि है। प्रतिवादी सं 1 अपने चाचा नारायण पुत्र उदा के बचपन में ही गोद चला गया था। तथा उसकी आराजीयात व संपति पर काबिज काश्त करता आ रहा है, तथा इस संबंध में नारायण पुत्र उदा द्वारा एक लिखावट 20 रूपया के एक मुद्रां का पर दि. 18.04. 2000 को लिखी गयी थी। तथा विवाद होने पर एक लिखावट स्वयं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दि. 19.04.2000 को लिखी गयी है, दोनोंही लिखावटों पर वादी व प्रतिवादीसे. 01 के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर है, तथा दोनों अपने 52 हिस्सों पर अर्थात वादी अपने पिता की संपति पर तथा प्रतिवादी अपने दत्तक पिता नारायणा लाल की संपति पर काबिज रहेगा। विवादित आराजीयात वादी के स्व. पिता रानू के नाम राजस्व

13/08/25  
सहायक कलक्टर  
आमेर भू. जयपुर



रिकार्ड में दर्ज थी, तथा रामू के फाँट होने के पश्चात उक्त भूमि का नामान्तकरण सहवन से प्रतिवादी व वादी के नाम तस्दीक कर दिया गया, जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में वादी बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रतिवादी से 01 का राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज हो गया, जिसको दुरुस्त करवाने का वादी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। गोद जाने वाला व्याक्त केवल अपने दत्तक पिता की संपत्ति में ही हिस्सा प्राप्त कर सकता है, प्रातिक पिता की संपत्ति में हिन्दू दत्तक ग्रहण अधिनियम के तहत किसी प्रकार का उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस कारण वादी को यह पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वो अपने हिस्से में इस अमर की घोषणा करवाये कि मृतक रामू लाल की समस्त आराजीयात का एकमात्र वादी आधिकारी है। इसलिये यह वाद बाबत घोष, इन्द्राज दुरुस्ती का मान्य न्याया-लय के समक्ष पेश करना लाजिम आया। विवादित आराजीयात पर वादी गण ही काबिज होकर काश्त करता आ रहा है, तथा वादीगण को संपूर्ण आराजीयात बाक प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, इसलिये यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का वादी द्वारा मान्य न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। विवादित आराजीयात पर दिनांक 15-01-2013 को प्रांतवादी आकर भूमि की पैमाइश करने लगा, तथा कुछ व्यक्ति उसके साथ ये जिन्हें मैं जानता नहीं, परंतु मां क्रय करने की बात कर रहे थे, मेने मना किया तो प्रतिवादी सं. 1 ने ऐलानियां धमकी दी कि आपको जो भी कुछ करना है वो न्यायालय में जाकर फरियाद करो, मैं तो इस भूमि को विशय करके ही रहूंगा। दिनांक 15-01-2013 को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भूमि को विक्रय करने की ऐलानियां धमकी देने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है, जो आज भी निरंतर बदस्तूर जारी है। इस कारण वादी द्वारा यह वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज, दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का मान्य न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजिम आया। अतः वाद वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत चौकार इस कदर की जाते कि वाद पत्र के मद सं. 1 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 का नाम हजब किया जाकर संपूर्ण आराजीयात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जायें।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड एडी आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें बताया गया कि वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 168 रकबा 1.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.31 हैक्टर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.39 हैक्टर वाकें ग्राम नांगल लाडी प.ह. राधाकिशनपुरा भू अभिलेख हल्का जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर मे स्थित होना एवम् राजस्व रिकार्ड मे वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज होने का वादीगण का कथन स्वीकार है।

Bms/  
सहायकी कलक्टर  
आमेर म. जयपुर



वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित वादी के कथन अस्वीकार है। वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात किसी भी कारण व आधार पर विवादित नहीं है। वादी का वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात को विवादित कहने का कथन गलत है एवम् अस्वीकार है। वाद पत्र का मद संख्या 3 असत्य लिखा गया है जो अस्वीकार है। वादी ने मद हाजा में वर्णित सजरा खानदान गलत एवम् अधूरा उल्लेखित किया है। रामूलाल व नारायण उदा के पुत्र नहीं है बल्कि मांगू के पुत्र है। रामूलाल के पुत्र हनुमान सहाय को सजरा खानदान में गोद शब्द से गलत से मलत उल्लेखित किया है इसी कारण वादी ने यह अभिलिखित नहीं किया है कि हनुमान सहायक किसके गोद गया है। इसी प्रकार से वाद के टाईटल में भी प्रतिवादी संख्या 1 को नारायण का दत्तक पुत्र गलत रूप से उल्लेखित किया है। प्रतिवादी संख्या हनुमान सहाय नारायण के गोद नहीं गया है और न प्रतिवादी संख्या 1 हनुमान सहाय को नारायण ने गोद लिया है। झमरु पुत्री व नारायण पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें से नारायण पुत्र मांगू उदा के जो कि ना औलाद था के सांभर बचपन में ही गोद चला गया था। नारायण भी ना औलाद है जिसने अपने भांजे मालीराम के दूसरे नम्बर के पुत्र रामस्वरूप को 5 साल की आयु में ही अपनी धर्मपत्नि छोटी की सहमति से मालीराम व मालीराम की धर्मपत्नि प्रभाती से दिनांक 13-3-84 को भौतिक रूप से मित्र बंधु रिश्तेदार एवम् समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मौजूदगी में हिन्दू रस्मों रिवाजनुसार गोद ले लिया था, इस गोद के सम्बन्ध में भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो इसलिये इस दत्तक ग्रहण के सम्बन्ध में दत्तक ग्रहीता नारायण पुत्र उदा ने बहक दत्तक पुत्र रामस्वरूप दत्तक ग्रहण विलेख निष्पादित कराकर दिनांक 22-6-2000 को उप पंजीयक सांभर लेक के प्रस्तुत किया जो दिनांक 22-6-2000 को ही पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 5 के पृष्ठ संख्या 115 के कम संख्या 9 पर पंजीबद्ध किया एवम् अतिरिक्त पु सं. 4 जिल्द संख्या 7 के पृष्ठ संख्या 2022 पर चरपा किया जाकर उनको प्राप्त हुआ है इस प्रकार से नारायण का रामस्वरूप विधिक व वास्तविक रूप से रजिस्टर्ड गोद पुत्र है। नारायण ने प्रतिवादी संख्या 1 उत्तरदाता को कभी भी गोद नहीं लिया है और नहीं उत्तरदाता प्रतिवादी नारायण के पहले से ही पुत्र होने की स्थिति में न तो कानूनन गोद जा सकता है और न लिया जा सकता है। वादी ने उत्तरदाता प्रतिवादी के नारायण के गोद जाने की कहानी अपने हितधारी व सहयोगियों से दुरभिसंधि कर एवम् रचनाकर बराये बदनियति मनघडन्त उल्लेखित है। वाद पत्र के मद संख्या 4 के पूर्व कथन वादी ने बराये बदनियति असत्य व बनावटी लिखे हैं जो पूर्णतः अस्वीकार है। मिन उत्तरदाता प्रतिवादी नारायण पुत्र उदा के कभी भी गोद नहीं गया है न नारायण पुत्र उदा ने मिन उत्तरदाता प्रतिवादी को कभी गोद ही लिया है गोद से सम्बन्धित पूर्व कथन मद हाजा में वादी ने बराये बदनियति गलत

7/3/25  
सहायक कलेक्टर  
आमेर म. जयपुर



लिखे है। मिन उत्तरदाता प्रतिवादी नारायण पुत्र उदा की आराजीयात व सम्पति पर कभी भी काबिज नहीं रहा है और न है और न इस सम्बन्ध में नारायण पुत्र उदा द्वारा तथाकथित कोई लिखावट ही 20 रुपये के मुद्रा पत्र पर दिनांक 18-4-2000 को या अन्य किसी दिन व दिनांक को लिखी गयी है और न विवाद होने पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 19-4-2000 को या अन्य किसी दिन व दिनांक को तथाकथित लिखावट लिखी गई है तथाकथित लिखावटों पर उत्तरदाता प्रतिवादी के कोई हस्ताक्षर नहीं है। यदि ऐसी कोई लिखावट वादी द्वारा बताई गई है तो वो वादी ने अपने हितधारी व सहयोगियों से दुरभिसंधि कर एवम् कूट रचनाकर फर्जी व साजसी तैयार की गई है। जिससे वादी को किसी भी प्रकार की कोई विधिक सहायता नहीं मिल सकती है। जो हर समय व हर प्रयोजन के लिए सारहीन व अप्रभावी है। मिन उत्तरदाता प्रतिवादी वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित अपने पिता स्व० रामूलाल के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात मय चाह विद्युत पम्पिंग सैट, विद्युत कनेक्शन के 1/2 हिस्से पर मौके पर काबिज काश्त है जब नारायण ने मिन प्रतिवादी को गोद ही नहीं लिया है तो उसकी सम्पति पर काबिज होने का कथन स्वतः ही गलत साबित हो जाता है। वाद पत्र के मद संख्या 5 में वर्णित वादी का यह कथन कि उक्त आराजीयात वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 के स्व० पिता रामू के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी तथा रामू के फौत होने के पश्चात् उक्त भूमि का नामान्तकरण प्रतिवादी व वादी के नाम तस्दीक किया गया तथा जिसके आधार पर राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया, स्वीकार है। शेष पूर्ण कथन मदहाजा वादी ने बराये बदनियति असत्य व मनघडन्त लिखा है जो अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नामान्तकरण संहवन से नहीं बल्कि वास्तविकता के अनुसार रामूलाल का पुत्र होने से उत्तराधिकार के आधार पर तस्दीक किया गया है तथा उसका अमल राजस्व रेकार्ड में वास्तविकता के अनुसार कानूनी प्रावधानों की पालना कर किया गया है जो इन्द्राज किसी भी कारण व आधार पर गलत नहीं है। जब मिन उत्तरदाता प्रतिवादी के नाम इन्द्राज ही गलत नहीं है तो उसको दुरुस्त करवाने का वादी को किसी भी कारण व आधार पर अधिकार ही पैदा नहीं होता है। वादी को किसी भी कारण व आधार पर इन्द्राज दुरुस्ती का अधिकार नहीं है। वाद वादी खारीज योग्य है। बाद पत्र का मद संख्या 6 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है एवम् स्वीकार नहीं है। मिन उत्तरदाता प्रतिवादी नारायण के गोद नहीं गया है न नारायण ने मिन उत्तरदाता प्रतिवादी को कभी गोद ही लिया है। मृतक रामूलाल की आराजीयात का एक मात्र वादी अधिकारी नहीं है बल्कि रामूलाल की आराजीयात का वादी व मिन प्रतिवादी बहिस्सा बराबर उत्तराधिकारी व अधिकारी है। मृतक रामूलाल के स्वर्गवास के पश्चात उसकी आराजी का नामान्तकरण वादी व मिन प्रतिवादी के नाम

Am's  
सहायक कलेक्टर  
आमर म. जयपुर



तस्वीक होकर खातेवारी तादी वगैरे प्रतिवादी के नाम बहिरसा बराबर राजरव भू अभिलेखों में विधि अनुसार दर्ज हुई है। तादी ने प्रस्तुत वाद मान्य न्यायालय के समक्ष बराबे बदनियति असत्य आधारों पर प्रस्तुत किया है। तादी मान्य न्यायालय से किसी भी प्रकार की न तो घोषणा कराने का अधिकारी है और नही इन्द्राज दुरुरती कराने का अधिकारी है। पूर्ण उत्तर उपरोक्त गतों में लिखा गया है पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र के मद संख्या 7 के पूर्ण कथन तादी ने बराबे बदनियति असत्य लिखे है जो अस्वीकार है। तादी का यह कथन कि कथित विवादित आराजीयात पर वादीगण ही काबिज होकर काशत करता आ रहा है तथा वादीगण को सम्पूर्ण आराजीयात बाबत प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। पूर्णतः असत्य लिखा गया है जो पूर्णतः अस्वीकार है। तादी व गिन प्रतिवादी वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात पर बहिरसा बराबर अपने पिता के जीवनकाल से ही काबिज होकर काशत कर काशत एवम् प्राकृतिक उपज का उपयोग व उपभोग उठाते चले आ रहे है। वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजी हाल खसरा नम्बर 169 के मध्य भाग में वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने पिता के जीवनकाल में कुआ बनाकर उसने सन् 1991 में अपने पिता रामूलाल के नाम से विजली लगाई है। रामूलाल के सन 1992 मे स्वर्गवास के बाद बोंहगी रजामन्दी से वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात को गौके पर विभाजन किया है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 168 की पूर्वी ओर की आधी जमीन व खसरा नम्बर 169 में पश्चिम की ओर की आधी जमीन गिन उत्तरदाता प्रतिवादी के कब्जे काशत मे है तथा खसरा नम्बर 168 में पश्चिम और की आधी जमीन व खसरा नम्बर 169 की पूर्वी ओर की आधी जमीन वादी के कब्जे काशत में है। जिनकी सिंचाई वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 खसरा नम्बर 169 में विद्यमान चाह विद्युत मोटर पंपिंग सैट से करते आ रहे है। वादी ने वाद असत्य व मनघडन्त तथ्यों के आधार पर बराबे बदनियति पेश किया है। वादी किसी भी प्रकार से स्थायी निषेधाज्ञा का न तो वाद पेश करने का अधिकारी है न गिन प्रतिवादी को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। वाद पत्र के मद संख्या 8 के सम्पूर्ण कथन वादी ने बराबे बदनियति काल्पनिक मनघडन्त व बनावटी लिखे है जो अस्वीकार है। मद हाजा मे वर्णित दिनांक 15-1-2013 से सम्बन्धित सम्पूर्ण कथन वादी ने असत्य लिखे है जो अस्वीकार है। गिन प्रतिवादी किसी को भी लेकर भूमि की पैमाइश नही करने गया है और नही भूमि विकय की बात की है। जब गिन प्रतिवादी ने भूमि विकय की बात ही नहीं की तो वादी द्वारा मना करने व गिन प्रतिवादी द्वारा धमकी देने वाली बात स्वतः ही गलत साबित हो जाती है। वाद पत्र का मद संख्या 9 के कथन वादी ने असत्य लिखे है जो अस्वीकार है। वादी को दिनांक 15-1-2013 अथवा कि अन्य किसी भी

सहायक कलेक्टर  
आमर म. जयपुर



दिन व दिनोंक को प्रस्तुत वादों के लिए कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। न निरन्तर जारी है। मद हाजा में वर्णित सम्पूर्ण कहानी वादी ने गलत उल्लेखित की है। वादी को प्रस्तुत वाद पेश करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें बताया गया कि प्रार्थना पत्रका मद सं. 1 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, वादी स्वयं साबित करे, उक्त भूमि से उत्तरदाता का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थना पत्र/वाद पत्र का मद सं. 2 कि प्रकार से वर्णित किया गया है, स्वीकार है। वाद पत्र का मद सं. 3 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, वादी स्वयं साबित करे। वाद पत्र का मद संख्या. 4 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, अस्वीकार है, तथा नारायण पुत्र उदा राम के हनुमान पुत्र राम लाल गोद गया था। यह बात सही है, पूर्व में नारायण पुत्र उदा ने एक गोद नामा मेरै हक मे तस्दीक किया गया था, परंतु उस गोदनामें को दिनीक 26-2.02 को ही नारायण पुत्र उदा राम द्वारा निरस्त करवाकर एक नोटिस कपूर चन्द्र जैन एडवोकेट सांभर लेक से मुझे दिलवा दिया गया था। उसके बाद समस्त प्रकार के सामा जक क्रियाक्रम हनुमान द्वारा ही किये गये हैं, तथा नारायणा पुत्र उदा की मृत्यु के बाद भी हनुमान दत्तक पुत्र नारायण द्वारा ही संपूर्ण क्रिया कम किये गये हैं, तथा हरिद्वार भी मृतक नारायण के फूलों को लेकर हनुमान ही गया था। एवं हनुमान के द्वारा नारायण पुत्र उदा की कृषि भूमि को विक्रय किया गया है एवं कस्बा सांभर लेक मैजो आवासीय मकान है, उस पर ही हनुमान ही निवास करता आ रहा है। तथा हनुमान दत्तक पुत्र नारायणा के तहसील सांभर में समस्त प्रकार के पहचान पत्र, राशन कार्ड, अमितदाता सूचि, आदि बनायी हुई है, तथा नारायण के बैंक खातों में भी उत्तराधिकारी में हनुमान का ही नाम दर्ज किया गया है। वाद पत्र का मद सं. 5 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, स्वी कार है, तथा रामू लाल की मृत्यु के बाद हनुमान का भूमि में कोई हिस्सा नहीं है, केवल मात्र श्रवणा पुत्र रामू लाल ही अधिकारी है। वाद पत्र की मद संख्या 6 व 7 स्वीकार है। वाद पत्र का मद सं. 8 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र का मदसं. 9 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। इस पत्रावली के साथ अन्य वाद पत्र संख्या 36/2017 बउनवानी हनुमान बनाम श्रवण लाल दिनांक 24.05.2018 हमफिता किया गया। अतः दोनो वादो का एकसाथ निर्णय किया जा रहा है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की ओर से जवाब दावा पेश होने पर नियमानुसार विवाद्यक तनकीयात कायम की गई।

1. आया वाद वादी प्रतिवादीगण बाबात् घोषणा फरमाई जाये कि वाद पत्र के मद संख्या-1 में वर्णित आराजीयात् में प्रतिवादी संख्या-1 का नाम हजफ किया जाकर संपूर्ण आराजीयात् का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ?

-वादीगण



2. आया वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या-1 की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ?  
-वादीगण
3. आया वादी द्वारा वाद पत्र आदेश 07 नियम 1 सीपीसी के प्रावधानों की पालना किये वगैरे पेश किया है इसीलिए वाद वादी खारिज होने योग्य है ?  
- प्रतिवादी संख्या- 1
4. आया वादी ने प्रतिवादी संख्या-1 को नारायण के गोद जामा बताया है। गोद का प्रश्न निर्णित करने का राजस्व न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण वाद खारिज होने योग्य है ?  
-प्रतिवादी 1
5. आया वाद में मद संख्या-1 में वर्णित आराजी का कब्जे काश्त के मध्य नजर वाई मीट्स वाउण्डस के आधार पर विभाजन किया जाकर मिन प्रतिवादी के 1/2 हिस्से की आराजी का खाता व लगान अलग से निर्धारित किया जावे ?  
.....प्रतिवादी 1
6. आया मिन प्रतिवादी के कब्जे काश्त में वादीगण व अन्य व्यक्ति मजामहत पैदा नहीं करे इसलिए वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ?  
-प्रतिवादी 1
7. आया हनुमान दत्तक पुत्र नारायण के तहसील सांभर में समस्त प्रकार के पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि बनाये हुए हैं तथा रामूलाल की मृत्यु के बाद हनुमान का भूमि में कोई हिस्सा नहीं है केवल मात्र श्रवण पुत्र रामू लाल ही अधिकारी है ?  
प्रतिवादी 4

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्लू 1 श्रवणलाल पुत्र रामू बलाई का पेश किया

हमने विद्वान अधिवक्तागण वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त, बहस तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् एवं दोनो वादो को निम्नानुसार निर्णित की जाती है :-

तनकी संख्या 1 आया वाद वादी प्रतिवादीगण बाबात् घोषणा फरमाई जाये कि वाद पत्र के मद संख्या-1 में वर्णित आराजीयात् में प्रतिवादी संख्या-1 का नाम हजफ किया जाकर संपूर्ण आराजीयात् का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ?

.....वादी

तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर है, वादी ने जाहिर किया है कि वादी के पिता स्व० श्री रामूलाल के वादी एवं प्रतिवादी 1 सन्ताने हुई। प्रतिवादी सं 1 अपने चाचा नारायण पुत्र उदा के बचपन में ही गोद चला गया था। तथा उसकी आराजीयात व संपत्ति पर वादी ही काबिज काश्त करता आ रहा है, तथा इस संबंध में नारायण पुत्र उदा द्वारा एक लिखावट 20 रूपया के एक मुद्रा का पर दि. 18.04.2000 को लिखी गयी थी। तथा विवाद होने पर एक लिखावट स्वयं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दि. 19.04.2000 को लिखी गयी है, दोनोंही लिखावटों पर वादी व प्रतिवादीसे. 01 के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर हैं, तथा दोनों अपने हिस्सो पर अर्थात् वादी अपने पिता की संपत्ति पर तथा प्रतिवादी अपने दत्तक पिता नारायणा लाल की संपत्ति पर काबिज

सहायक कलेक्टर  
आमेर न. जयपुर



रहेगा। विवादित आराजीयात वादी के पश्चात उक्त भूमि का नामान्तकरण सहवन से प्रतिवादी थी, तथा रामू के फोट होने के पश्चात उक्त भूमि का नामान्तकरण सहवन से प्रतिवादी व वादी के नाम तस्दीक कर दिया गया, जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में वादी वतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रतिवादी से 01 का राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज हो गया।

वादी ने तनकी संख्या 1 के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में छायाप्रति जमाबंदी संवत 2057 से 2060, सादा कागज पर लिखा तथाकथित इकरारनामा दिनांक 19.04.2000, तथा 20 रुपये स्टाप्प पर लिखी लिखावट छायाप्रति पेश की है। जोकि प्रदर्शित नहीं की गई क्योंकि सभी छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। तथा मौखिक साक्ष्य हेतु श्रवण (PW1) पेश किया।

वादी द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। इसके अतिरिक्त वादी का कथन रहा है कि रामू के फोट होने के पश्चात उक्त भूमि का नामान्तकरण सहवन से प्रतिवादी व वादी के नाम तस्दीक कर दिया गया उक्त नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा हनुमानसहाय को रामूलाल का विधिक वारिस मानकर खातेदार कृषक के रूप में अंकित किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनिय है कि उक्त नामान्तकरण को तस्दीक की जानकारी वादी को भरपूर रही है। वादी द्वारा उक्त नामान्तकरण को किसी सक्षम न्यायालय में चूनोती भी नहीं दी है। इसलिए उक्त नामान्तकरण को सही माना जावेगा, जोकि सही मानने की अवधारणा है। यहां "सही मानने की अवधारणा" का अर्थ है कि जब तक कोई दस्तावेज गलत साबित नहीं हो जाता, तब तक उसे सही माना जाएगा। यह सिद्धान्त न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

जहां तक वादी द्वारा प्रस्तुत कथन कि रामूलाल का विधिक उत्तराधिकारी वादी था, का प्रश्न है। प्रथमतः तो उक्त कथन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जिसके प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदार काश्तकार की श्रेणी का निर्धारण होता है, से अप्रासंगिक है। उत्तराधिकारी निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति किसी का पुत्र अथवा पुत्री है या नहीं, यह तय करने के लिए सिविल कोर्ट (Civil Court) में मुकदमा दायर किया जाता है। इस तरह के मामलों को "उत्तराधिकार (Succession) या संपत्ति विवाद" (Property Dispute) के रूप में माना जाता है, और अदालत सबूतों की जांच करके निर्धारित करती है कि क्या कोई व्यक्ति किसी का कानूनी वारिस (Successor) है या नहीं। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वादी को स्वयं का वाद सिद्ध करना आवश्यक होता है। उपरोक्त विवेचन से वादी तनकी 01 को साबित करने में असफल रही हैं। अतः तनकी संख्या 1 वादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

3m  
न्यायिक कलक्टर  
आमर म. जयपुर



तनकी संख्या 2 आया वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ?

- वादी

तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार वादी पर है चूकि तनकी संख्या 1 वादी के विरुद्ध निर्णित होने से स्वतः तनकी संख्या 2 वादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है। तनकी संख्या 3 आया वादी द्वारा वाद पत्र आदेश 07 नियम 1 सीपीसी के प्रावधानों की पालना किये बगैर पेश किया है इसीलिए वाद वादी खारिज होने योग्य है ?

- प्रतिवादी संख्या- 1

तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी 1 पर है उक्त तनकी कानूनी तनकी है। आदेश 7 नियम 1 में अंकित किया गया है कि वादपत्र में अन्तर्विष्टि की जाने वाली विशिष्टियां है परन्तु प्रतिवादी इस संबंध कोई साक्ष्य अथवा अभिवचन नहीं किया है जिससे जाहिर हो कि वाद किस प्रकार से आदेश 7 नियम 1 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध निर्णित की जाती है। तनकी संख्या 4 आया वादी ने प्रतिवादी संख्या-1 को नारायण के गोद जामा बताया है। गोद का प्रश्न निर्णित करने का राजस्व न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण वाद खारिज होने योग्य है ?

-प्रतिवादी 1

तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर है। प्रथमतः तो उक्त कथन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जिसके प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदार काश्तकार की श्रेणी का निर्धारण होता है, से अप्रासंगिक है। उत्तराधिकारी निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति किसी का पुत्र अथवा पुत्री है या नहीं, यह तय करने के लिए सिविल कोर्ट (Civil Court) में मुकदमा दायर किया जाता है। इस तरह के मामलों को "उत्तराधिकार (Succession) या संपत्ति विवाद" (Property Dispute) के रूप में माना जाता है, और अदालत सबूतों की जांच करके यह निर्धारित करती है कि क्या कोई व्यक्ति किसी का कानूनी पुत्र है या नहीं। जिसका उल्लेख तनकी संख्या 1 में भी किया जा चुका है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 ने पूर्णतः साबित किया है।

तनकी संख्या 5 आया वाद में मद संख्या-1 में वर्णित आराजी का कब्जे काश्त के मध्य नजर बाई मीट्स बाउण्डस के आधार पर विभाजन किया जाकर मिन प्रतिवादी के 1/2

हिस्से की आराजी का खाता व लगान अलग से निर्धारित किया जावे ?

.....प्रतिवादी 1

उक्त तनकी के संबंध में उल्लेखनिय है कि जहां तक बंटवारे का प्रश्न है जबतक "उत्तराधिकार (Succession) का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक उक्त तनकी मेन्टेनेबल नहीं है तथा अप्रासंगिक है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य शहादत



प्रकरण संख्या - 42/2013 एवं 36/2017  
श्रवणलाल बनाम हनुमान वगैरे एवं हनुमान बनाम श्रवण  
निर्णय दिनांक :- 08.08.2025

पेश नहीं की है, अतः तनकी संख्या 5 प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 6 आया मिन प्रतिवादी के कब्जे काशत में वादीगण व अन्य व्यक्ति मजामहत पैदा नहीं करे इसलिए वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ?

—प्रतिवादी 1


तनकी संख्या 7 आया हनुमान दत्तक पुत्र नारायण के तहसील सांभर में समस्त प्रकार के पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि बनाये हुए है तथा रामूलाल की मृत्यु के बाद हनुमान का भूमि में कोई हिस्सा नहीं है केवल मात्र श्रवण पुत्र रामू लाल ही अधिकारी है ?

प्रतिवादी 4


सुविधा की दृष्टि से तनकी संख्या 6 एवं 7 एकसाथ निर्णित की जा रही है। उक्त तनकीयो के संबंध में उल्लेख है कि जबतक "उत्तराधिकार (Succession) का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक उक्त तनकीया भी मेन्टेनेबल नहीं है तथा अप्रासंगिक है। अतः तनकी संख्या 6 एवं 7, प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

### निर्णय

तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरुद्ध निर्णित होने एवं तनकी संख्या 4 प्रतिवादी 1 पक्ष में साबित होने तथा तनकी संख्या 3, 5, 6 एवं 7 प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित होने से वादी का वाद एवं प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम तथा वाद 36/2017 बउनवानी हनुमान बनाम श्रवण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

  
सहायक कलक्टर  
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
सहायक कलक्टर  
आमेर मु0 जयपुर

**डिक्री मुकद्दमा इत्लादाई**  
(ओ 20 खल्सा 0 व 7 जाब्दा बीवानी)  
अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु० जयपुर  
पीठारीन अधिकारी श्रीमती सुगन चौधरी (आर.ए.एस)



नियमित वाद संख्या -42/2013

वाद प्रस्तुति दिनांक -26.02.2013

श्रवण लाल पुत्र राम लाल बलाई जाति भेघवंशी, निवासी नांगल लाडी तहसील आमेर जिला जयपुर।

.....वादी.

बनाम

1. हनुमान सहाय दत्तक नारायण निवासी नांगल लाडी तह. आमेर जिला जयपुर।
2. उप पंजीयक आमेर जिला जयपुर।
3. रज. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
4. रामस्वरूप पुत्र मालीराम जाति बुनकर निवासी चिमनपुरा तहसील आमेर जयपुर

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा  
अंतर्गत धारा- 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 08.08.2025

तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरुद्ध निर्णित होने एवं तनकी संख्या 4 प्रतिवादी 1 पक्ष में साबित होने तथा तनकी संख्या 3, 5, 6 एवं 7 प्रतिवादीगण के विरुद्ध निर्णित होने से वादी का वाद एवं प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम तथा वाद 36/2017 बउनवानी हनुमान बनाम श्रवण खारिज किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 08.08.2025 को जारी किया।

दस्तख्त ----

ओहदा ----

सहायक कलक्टर  
आमेर मु० जयपुर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	-	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	-
स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये	-	स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये	-
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	स्टाम्प वजह सबूत	-	-
महन्ताना वकील	-	-	महन्ताना वकील	-	-
खर्चा गवाहन	-	-	खर्चा गवाहन	-	-
फीस कमिश्नर	-	-	फीस कमिश्नर	-	-
बबत् इजराय हुक्मानामा	-	-	बबत् इजराय हुक्मानामा	-	-
मुतफरित	4 रुपये	-	मुतफरित	4 रुपये	-
मीजान	-	-	मीजान	-	-

सहायक कलक्टर  
आमेर मु० जयपुर